प्रेस विज्ञप्ति
30.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक श्री इस्तियाक अहमद पार्रे और उनके अन्य सहयोगियों के मामले में 29/07/2024 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर और पाटन में 5 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, खाते की किताबें, डिजिटल उपकरणों सहित बैंक धन के गबन से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त कर लिए गए।

ईडी ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक इस्तियाक अहमद पार्रे और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक के 8.36 करोड़ रुपये के फंड के गबन के लिए सीबीआई द्वारा दर्ज/दायर की गई विभिन्न एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। उन्होंने अन्य आरोपी निजी व्यक्तियों बैंक संपर्की यानी मोहम्मद मकबूल गनी, मंज़ूर अहमद डार, मुश्ताक हुसैन वानी, शब्बीर अहमद डार, शब्बीर अहमद भट, निसार अहमद डार और अन्य के साथ मिलीभगत की और धोखाधड़ी से फर्जी/गैर-मौजूदा ग्राहकों को, कुल 250 फर्जी ऋण खाते-किसान नकद क्रेडिट ऋण (केसीसी), कार ऋण, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), और नकद ऋण सीमाएँ (सीसी) स्वीकृत कीं जो बाद में एनपीए हो गए।

ईडी की जांच से पता चला कि लिए गए ऋण के बदले में प्राप्त अधिकांश धनराशि या तो आरोपी व्यक्तियों या आरोपी व्यक्तियों के रिश्तेदारों को हस्तांतरित कर दी गई थी, जहां से आय ज्यादातर नकद में निकाली गई थी। अधिकतर ऋण जाली/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वीकृत किये गये थे। जिन व्यक्तियों के नाम पर ऋण स्वीकृत किया गया, वे अस्तित्व में ही नहीं थे। सभी ऋण खाते (कुल 250) उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और ऋण के मानदंडों और शर्तों का उल्लंघन करके स्वीकृत किए गए थे। गबन की कुल रकम 8.36 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।